



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08032022-233981
CG-DL-W-08032022-233981

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 20— फरवरी 26, 2022, शनिवार/ फाल्गुन 1— फाल्गुन 7, 1943
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2022, SATURDAY/PHALGUNA 1—PHALGUNA 7, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 216.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देवाशीष पण्डा के स्थान पर श्री संजय मल्होत्रा (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 7/2/2012-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 216.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby nominates Shri Sanjay Malhotra (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Directors of State Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Debasish Panda.

[F. No. 7/2/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 217.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देवाशीष पण्डा के स्थान पर श्री संजय मल्होत्रा (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 7/2/2012-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 217.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Sanjay Malhotra (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Debasish Panda.

[F. No. 7/2/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Director